

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16082/2023

महेंद्र कुमार नाई पुत्र शांति लाल नाई, उम्र लगभग 34 वर्ष, बड़ी साखथली,
पाटीदार मंदिर के पास, बड़ी साखथली, प्रतापगढ़, राजस्थान।

----अपीलकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, निदेशालय, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर, बीकानेर, राजस्थान।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर, राजस्थान।
5. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर, राजस्थान।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

---प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए: श्री वी एल एस राजपुरोहित

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री दीपक चांडक

श्री प्रियांशु गोपा

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

08/05/2024

1. याचिकाकर्ता प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की मांग करता है कि वे अधिसूचना संख्या 13/2012 दिनांक 16.12.2022 (अनुलग्नक 7) के अनुसार शिक्षक ग्रेड III, लेवल-II, विषय अंग्रेजी के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार करें और उसे तदनुसार नियुक्ति प्रदान करें।
2. दलील के अनुसार, प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं: प्रतिवादियों ने 16.12.2022 (अनुलग्नक 7) को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें टीएसपी और गैर-टीएसपी दोनों क्षेत्रों के लिए शिक्षक ग्रेड III, लेवल-II के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। याचिकाकर्ता ने पात्र होने के कारण अपना आवेदन प्रस्तुत किया और परीक्षा में भाग लिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 147.5765 अंक प्राप्त किए और दिनांक 09.06.2023 (अनुलग्नक 12) के आदेश के अनुसार टीएसपी और गैर-टीएसपी दोनों श्रेणियों में अनंतिम रूप से चयनित हुआ। बाद में उसे दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया। 15.09.2023 (अनुलग्नक 13) को अंतिम चयन सूची जारी की गई और याचिकाकर्ता को चयनित दिखाया गया। उसे आवंटन सूची (अनुलग्नक 14) के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में आवंटित किया गया। हालांकि, अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए चित्तौड़गढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा जारी दिनांक 27.09.2023 की सूची में याचिकाकर्ता को शामिल नहीं किया गया। यह बहिष्कार इस दावे पर आधारित था कि याचिकाकर्ता दिनांक 16.1.2022 की अधिसूचना के खंड 6 के अनुसार योग्यताएं पूरी नहीं करता है, क्योंकि उसके

स्नातक में न्यूनतम 50% आवश्यक अंक नहीं थे। सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के बावजूद, याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके कारण यह याचिका दायर की गई।

3. अपने उत्तर में, प्रतिवादियों ने दावा किया कि याचिकाकर्ता के पास अपेक्षित योग्यताएं नहीं थीं, विशेष रूप से विज्ञापन के खंड 6 द्वारा स्नातक में 50% अंक की आवश्यकता थी, इस प्रकार उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का औचित्य सिद्ध होता है।

4. तथ्यों से पता चलता है कि 26.07.2011 को याचिकाकर्ता को प्रवेश के लिए एक कॉलेज आवंटित किया गया था। प्रवेश अनुसूची (अनुलग्नक 8) के अनुसार, वह 26.07.2011 से 02.08.2011 तक शुल्क का भुगतान कर सकता था, और उसने 29.07.2011 को ऐसा किया। प्रतिवादी इस भुगतान तिथि का उपयोग विज्ञापन के खंड 6 के आधार पर उसकी पात्रता को चुनौती देने के लिए कर रहे हैं, जिसके अनुसार स्नातक में 50% अंक प्राप्त न करने वाले उम्मीदवारों को 29.07.2011 से पहले कॉलेज में प्रवेश लेना आवश्यक है।

5. मेरा मत है कि याचिकाकर्ता का मामला इस शर्त के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसे 26.07.2011 को कॉलेज आवंटित किया गया था। यदि उसने 27.07.2011 या 28.07.2011 को शुल्क का भुगतान किया होता, तो उसकी पात्रता पर सवाल नहीं उठाया जाता। इसलिए, उसकी प्रवेश तिथि को 26.07.2011 माना जाना चाहिए, जो आवंटन की तिथि है, न कि 29.07.2011 की शुल्क भुगतान तिथि।

6. यह तर्क कि शुल्क भुगतान की तिथि प्रवेश तिथि निर्धारित करे, त्रुटिपूर्ण है तथा विसंगतियों को जन्म देता है। अनुलग्नक 8 के अनुसार, अभ्यर्थी 26.07.2011 से 02.08.2011 तक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। यदि

याचिकाकर्ता ने 27.07.2011 या 28.07.2011 को पहले शुल्क का भुगतान किया होता, तो उसे पात्र माना जाता। सभी अभ्यर्थियों के लिए कट-ऑफ तिथियां एक समान होनी चाहिए। चूंकि याचिकाकर्ता ने स्वीकृत समय-सीमा के भीतर भुगतान किया है, इसलिए उसका प्रवेश 26.07.2011 को माना जाना चाहिए। शुल्क भुगतान तिथि के आधार पर पात्रता तिथि में बदलाव स्वीकार्य नहीं है।

7. इसलिए, प्रवेश तिथि की गणना कॉलेज आवंटन तिथि से की जानी चाहिए, तथा शुल्क भुगतान बाद की आवश्यकता है। शुल्क भुगतान तिथि प्रवेश तिथि निर्धारित नहीं करनी चाहिए।

8. उपरोक्त के आलोक में, याचिका स्वीकृत की जाती है। याचिकाकर्ता के संबंध में दिनांक 27.09.2023 (अनुलग्नक 15) का आरोपित आदेश निरस्त किया जाता है तथा उसे अपास्त किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ता के प्रदर्शन पर विचार करें तथा यदि वह योग्य पाया जाता है तो उसे कानून के अनुसार नियुक्ति पत्र जारी करें।

9. सेवा से बाहर रहने की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत पर किसी भी मौद्रिक लाभ का हकदार नहीं होगा। हालांकि, याचिकाकर्ता को उसके समकक्षों के समान ही काल्पनिक लाभ प्रदान किए जाएंगे, जिन्होंने उसी चयन में भाग लिया था।

रिपोर्टिंग के लिए फिट है या नहीं

(अरुण मोंगा), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।